<u>**न्यायालयः– मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण सं. 01, अनूपगढ़, जिला श्रीगंगानगर**</u>

पीठासीन अधिकारीः–	**डॉ. मनीष कुमार अग्रवाल, R.J.S.** (U.I.D. No.RJ00720) (जिला न्यायाधीश संवर्ग)
क्लेम याचिका संख्याः–	09/2022
सी.आई.एस. संख्याः–	09/2022
CNR	**RJSG090001592022**

01– सीतादेवी पत्नी आत्माराम, निवासी 4 एन डी, तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर

02– संतोष उम्र 11 साल

03– तीर्थाराम उम्र 8 साल

04– दिव्या उम्र 6 साल

05– मोनिका उम्र 4 साल

06– संजय कुमार उम्र 5 माह

पिसरान आत्माराम, नाबालिगान जरिये कुदरतीवली माता सीतादेवी पत्नी आत्माराम, निवासी 4 एन डी, तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर

क्लेम याचिका संख्याः–	08/2022
सी.आई.एस. संख्याः–	08/2022

01– बलवंतकौर पत्नी बूटासिंह, निवासी 36 एमओडी, जोड़कियां, तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ

02– बेअन्तसिंह पुत्र बूटासिंह, निवासी 36 एमओडी, जोड़कियां, तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ

03– मनजीतकौर पत्नी परविन्द्रसिंह पुत्री बूटासिंह, निवासी 3 ई छोटी, तहसील व जिला श्रीगंगानगर

–याचीगण

– बनाम –

01– यूनाईटेड इंडिया इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड, जरिये मंडलीय प्रबंधक, 15 नैशनल हाईवे रोड़वेज डिपो के सामने, श्रीगंगानगर

(बीमा कम्पनी ट्रोला नं0 आर जे 19 जीसी 4445)

02– मनदीपसिंह पुत्र टेकसिंह, निवासी वार्ड नं0 4 रामदेवजी मंदिर के पास, सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर

(वाहन मालिक ट्रोला नं0 आर जे 19 जीसी 4445)

03– हरीराम पुत्र जगदीश, निवासी फूलासर, तहसील कोलायत जिला बीकानेर

(वाहन चालक बस नं0 आर जे 19 पीए 9898)

04– सालमसिंह पुत्र सादुलसिंह, निवासी गांव लुणार, तहसील जैसलमेर जिला जैसलमेर

(वाहन मालिक बस नं0 आर जे 19 पीए 9898)

–अयाचीगण

<u>क्लेम याचिका अंतर्गत धारा 166, 140 मोटरवाहन अधिनियम, 1988</u>

उपस्थितः–

1. श्री एच एस सेखो, अधिवक्ता–याचीगण
2. श्री रायसाहब बाना, अधिवक्ता–अयाची सं० 1
3. श्री गुरबक्शसिंह, अधिवक्ता–अयाची संख्या 2
4. श्री एस एस लोरे, अधिवक्ता–अयाची संख्या 3
5. श्री अशोक बलाना, अधिवक्ता–अयाची संख्या 4

–:: निर्णय ::–

दिनांक–24.07.2026

01. याचीगण सीतादेवी आदि एवं बलवंतकौर आदि द्वारा दिनांक 19.09.2021 को मोटरयान दुर्घटना में आई चोटों के फलस्वरूप अपने पति /पिता क्रमशः आत्माराम एवं बूटासिंह की मृत्यु होने के परिणाम स्वरूप उत्पन्न क्षतियों की पूर्ति हेतु **अलग अलग** उक्त क्लेम याचिकाएं अयाचीगण यूनाईटेड इंडिया इंश्योरेंस कम्पनी आदि के विरूद्ध इस अधिकरण के समक्ष दिनांक 09.03.2022 को पेश की गई, जो नियमानुसार दर्ज रजिस्टर हुई।

02. उक्त दोनों ही क्लेम याचिकाएं **एक ही दुर्घटना** से संबंधित होने से दोनों क्लेम याचिकाएं **कन्सोलिडेट** की गई जिनका निस्तारण इस एकल निर्णय द्वारा किया जा रहा है।

03. याचिका के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैः–

दिनांक 19.09.2021 को सरकारी अस्पताल में जैरइलाज सतपाल बिश्नोई ने पुलिस थाना अनूपगढ के एसआई श्री रामसिंह के समक्ष इस आशय का पर्चा बयान किया कि वह अपनी रिश्तेदारी में गोडू बज्जू जाने के लिये अनूपगढ से बस आर जे 19 पीए 9898 से अनूपगढ से करीब 08.15 पीएम पर रेलवे स्टेशन के पास से रवाना हुआ। बस में काफी सवारियां थी। बस अनूपगढ से निकलते ही हाईवे रोड़ पर घड़साना की तरफ तेजी से रवाना हुई, तभी सामने से एक ट्रोला बड़ी तेज गफलत व लापरवाही से चलता आया जिससे बस व ट्रोला में जोरदार भिड़त हो गई जिससे बस चालक ने बस को साईड में करने की कोशिश की तो आगे पेड़ आने से बस पलटी खा गई। वह बस चालक के पीछे वाली सीट पर आगे की तरफ बैठा था। बाद में बस में आग लग गई। एक्सीडेंट से उसके सिर व हाथ, मुंह पर चोटें लगी एवं सभी सवारियों के भी काफी चोटें लगी। बस में आग लगने से दो सवारियों की मौके पर ही जलने के कारण मौत हो गई तथा उसने सुना कि ट्रोला चालक की भी मौके पर मौत हो गई । उसे एवं तीन चार सवारियों को घड़साना से आ रही रोड़वेज बस के चालक ने ईलाज के लिये सरकारी हॉस्पीटल में भर्ती करवाया आदि आदि..। उक्त पर्चा बयान के आधार पर पुलिस थाना अनूपगढ में प्रथम सूचना रिपोर्ट सं० 507/2021 अन्तर्गत धारा 279, 337, 304–ए भा.दं.सं. में दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया गया। बाद अनुसंधान ट्रोला नं0 आर जे 19 जीसी 4445 के चालक जंगीरसिंह के विरूद्ध धारा 279, 337, 304–ए भा.दं.सं., बस नंबर आर जे 19 पीए 9898 के चालक हरीराम के विरूद्ध धारा 279, 337, 304–ए भा.दं.सं., धारा 146/196, 39/192, 66/192, 182–बी एम वी एक्ट एवं बस मालिक सालमसिंह के विरूद्ध धारा 146/196, 39/192, 66/192, 182–बी एम वी एक्ट का अपराध प्रमाणित पाया गया एवं जंगीरसिंह की मृत्यु होने से शेष दो अभियुक्तगण के विरूद्ध ग्राम न्यायालय, अनूपगढ में आरोप पत्र पेश किया गया।

04. याचीगण सीतादेवी आदि ने **क्लेम याचिका संख्या 09/2022** में दुर्घटना के समय मृतक का बस नंबर आर जे 19 पीए 9898 में सवार होना, मृतक की आयु वक्त दुर्घटना 35 वर्ष होना, मृतक का कृषि कार्य करके 20,000/– रूपये मासिक आय

अर्जित करना जिसमें उत्तरोतर वृद्धि होना बताते हुए भिन्न भिन्न क्षतियों के रूप में याचिका में वर्णित क्षतिपूर्ति राशि दिलाये जाने की मांग की तथा याचीगण बलवंतकौर आदि ने **<u>क्लेम याचिका संख्या 08/2022</u>** में वक्त दुर्घटना मृतक बूटासिंह का बस नंबर आर जे 19 पीए 9898 में सवार होना, वक्त दुर्षटना मृतक की आयु 68 वर्ष होना, मृतक का कृषि का कार्य करके 20,000/– रूपये प्रतिमाह आय अर्जित करना, जिसमें उत्तरोतर वृद्धि होना होना बताते हुए भिन्न भिन्न क्षतियों याचिका में वर्णित प्रतिकर राशि दिलाये जाने की मांग की । याचीगण ने अयाची संख्या 2 मनदीपसिंह का दुर्घटनाग्रस्त ट्रोला नंबर आर जे 19 जी सी 4445 का मालिक होना, उक्त ट्रोला अयाची संख्या 1 बीमा कम्पनी से बीमित होना, दुर्घटना बीमित अवधि के भीतर होना, अयाची संख्या 3 बस नंबर आर जे 19 पीए 9898 का चालक होना एवं अयाची संख्या 4 सालम सिंह उक्त बस का रजिस्टर्ड मालिक होना बताते हुए अयाचीगण से उक्त क्षतिपूर्ति राशि दिलाये जाने का निवेदन किया गया।

05. अयाची संख्या 01 यूनाईटेड इंडिया इंश्योरेंस कम्पनी की ओर से दोनों क्लेम याचिकाओं में अलग अलग जवाब पेश कर अभिकथन किये कि मृतक की मृत्यु तथाकथित दुर्घटनाग्रस्त बस में सवार होने एवं बस में आग लगने से जलने से हुई हो, ऐसा याचीगण की ओर से कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया है। याचीगण ने मृतक की आय एवं आयु के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं की है। उक्त दुर्घटना के बस नं0 आर जे 19 पीए 9898 उत्तरदायी है एवं उक्त बस के चालक एवं मालिक के खिलाफ आरोप पत्र पेश हुआ है। उक्त बस की बीमा कम्पनी को पक्षकार नहीं बनाया गया है। नक्शा मौका व हालात मौका अनुसार बस आर जे 19 पीए 9898 के चालक द्वारा बिना लाईसेंस के बस लापरवाही, उपेक्षा एवं तेज स्पीड में चलाने के कारण कंट्रोल में नहीं होने से पेड़ से टकराकर बस में आग लगने से दुर्घटना कारित हुई है। बस मालिक के पास घटना के दिन परमिट नहीं था तथा ट्रोला चालक के पास वाहन चलाने का वैध एवं प्रभावी ड्राईविंग लाईसेंस नहीं था एवं ट्रोला का परमिट व फिटनेस भी दुर्घटना की दिनांक को नहीं था, ऐसी स्थिति में मोटरयान नियमों का उल्लंघन होने से बीमा कम्पनी प्रतिकर अदायगी के लिये उत्तरदायी नहीं है। याचीगण द्वारा जानबूझकर ट्रक की बीमा कम्पनी को गलत तरीके से कुसंयोजन किया गया है इसलिये पक्षकारों के कुसंयोजन के कारण याचीगण की याचिका अयाची बीमा कम्पनी

की हद तक खारिज किये जाने योग्य है। अंत में याचीगण की याचिकाएं अयाची बीमा कम्पनी की हद तक खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

06. **अयाची संख्या 02** की ओर से दोनों याचिकाओं में अलग अलग जवाब पेश कर ट्रोला नंबर आर जे 19 जीसी 4445 का मालिक होना स्वीकार करते हुए अभिकथन किया गया कि बस नंबर आर जे 19 पीए 9898 के चालक अयाची संख्या 3 की गलती व लापरवाही के कारण दिनांक 19.09.2021 को दुर्घटना कारित हुई जिसमें अयाची संख्या 2 के ट्रोला के चालक मृतक जंगीरसिंह की कोई गलती व लापरवाही नहीं थी। याचीगण ने क्षतिपूर्ति राशि की बढाचढा कर मांग की है। ट्रोला अयाची संख्या 1 बीमा कम्पनी से बीमित था और बीमित अवधि के दौरान हुई समस्त क्षतियों के लिये बीमा कम्पनी उत्तरदायी है। बस मालिक एवं चालक द्वारा बस को बिना परमिट के विधि विरूद्ध तरीके से चलाया जा रहा था। अंत में याचीगण की याचिकाएं मय हर्जा खर्चा खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

07. **अयाची संख्या 03** की ओर से दोनों याचिकाओं में अलग अलग जवाब पेश कर अभिकथन किया गया कि दिनांक 19.09.2021 को चक 15–ए बस स्टेण्ड के पास बस नंबर आर जे 19 पीए 9898 से उसकी गलती या लापरवाही से कथित दुर्घटना कारित नहीं की गई। उसके खिलाफ झूठे एवं निराधार तथ्यों के आधार पर पुलिस थाना अनूपगढ में मुकदमा दर्ज करवाया गया है। याचीगण ने मृतक की आय एवं आयु के संबंध में तथ्य झूठे एवं बढचढ कर अंकित किये हैं। वरवक्त दुर्घटना उसके पास बस चलाने का वैध एवं प्रभावी ड्राईविंग लाईसेंस था, इन परिस्थितयों में याचीगण उससे किसी प्रकार की राशि प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। अंत में याचीगण की याचिकाएं मय हर्जा खर्चा खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

08. **अयाची संख्या 04** की ओर से दोनों याचिकाओं में अलग अलग जवाब पेश कर बस नंबर आर जे 19 पीए 9898 का रजिस्टर्ड मालिक होना स्वीकार करते हुए अभिकथन किया गया कि दिनांक 09.09.2021 को उसकी बस नंबर आर जे 19 पीए 9898 के चालक अयाची संख्या 3 हरीराम की गलती या लापरवाही से तथाकथित दुर्घटना कारित नहीं हुई है बल्कि दुर्घटना स्वयं ट्रोला चालक जंगीरसिंह की लापरवाही व गलती के परिणामस्वरूप हुई है इसलिये याचीगण उससे किसी प्रकार

की राशि प्राप्त करने के विधिक अधिकारी नहीं है। दौराने अनुसंधान जंगीरसिंह के खिलाफ आरोप प्रमाणित पाये गये लेकिन ट्रोला चालक की मृत्यु होने के कारण उसके व अयाची संख्या 3 के विरूद्ध पुलिस से सांठगांठ करके झूठे तथ्यों के आधार पर आरोप पत्र न्यायालय में पेश करवाया गया है। अंत में याचीगण की याचिकाएं मय हर्जा खर्चा खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

09. पक्षकारों के अभिवचनों के आधार पर अधिकरण द्वारा दोनों याचिकाओं में अलग अलग तनकीयात कायम की गई जो समेकित रूप से निम्न प्रकार है –

01. आया दिनांक 19.09.2021 को वक्त करीब 8.30 पीएम पर राष्ट्रीय राजमार्क 911 पर अनूपगढ से घड़साना के बीच चक 15–ए बस स्टेण्ड के पास अयाची संख्या 2 मनदीपसिंह ने अपने ट्रोला नंबर आर जे 19–जीसी–4445 व अयाची संख्या 3 हरीराम ने अपनी बस नंबर आर जे 19–पीए–9898 को उपेक्षा एवं लापरवाही से चलाया जिससे उक्त वाहनों में टक्कर हो गई जिससे बस में सवार आत्माराम उर्फ रूपाराम व बूटासिंह की दुर्घटनाग्रस्त होकर मृत्यु हो गई ?

––याचीगण

02. आया याचीगण याचिकाओं में उल्लेखित तथ्यों के आधार पर प्रतिकर प्राप्त करने के अधिकारी है, यदि हां तो किस किस से व कितनी?

––याचीगण

03. आया अयाचीगण संयुक्त अपकृत्यकर्ता हैं इसलिये याचीगण सभी अयाचीगण से अथवा किसी एक से समस्त प्रतिकर राशि वसूलने के अधिकारी है ?

––याचीगण

04. आया अयाची संख्या 1 बीमा कम्पनी जवाब में उल्लेखित तथ्यों के आधार पर प्रतिकर राशि अदा करने के लिये उत्तरदायी नहीं है ?

––अयाची सं. 1

05. अनुतोष ?

10. याचीगण की ओर से अपनी अपनी याचिकाओं के समर्थन में मौखिक साक्ष्य में गवाह ए.डब्ल्यू. 01 बलवंतकौर, ए.डब्ल्यू. 2 सीतादेवी के बयान लेखबद्ध करवाये गये तथा दस्तावेजी साक्ष्य में याचीगण की ओर से अपनी साक्ष्य

में चार्जशीट प्रदर्श–1, पर्चा बयान सतपाल प्रदर्श–2, तहरीर एसएचओ प्रदर्श–3, एफआईआर प्रदर्श–4, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आत्माराम प्रदर्श–5, फर्द पंचनामा आत्माराम प्रदर्श–6, रसीद सुपुर्दगी लाश आत्माराम प्रदर्श–7, तहरीर पोस्टमार्टम आत्माराम प्रदर्श–8, नक्शा मौका प्रदर्श–9, हालात मौका प्रदर्श–10, फर्द जब्ती व निरीक्षण ट्रोला प्रदर्श–11, नोटिस एमवी एक्ट मनदीपसिंह प्रदर्श–12, तहरीर मैकेनिकल मुआयना प्रदर्श–13, रिपोर्ट मैकेनिकल मुआयना प्रदर्श–14, आर सी ट्रोला प्रदर्श–15, बीमा पालिसी ट्रोला प्रदर्श–16, रिपोर्ट डीएल जंगीरसिंह प्रदर्श–17, आधार कार्ड जंगीरसिंह प्रदर्श–18, वोटर आईडी कार्ड जंगीरसिंह प्रदर्श–19, राशन कार्ड जंगीरसिंह प्रदर्श–20, टेक्स इनवाईस प्रदर्श–21, पीयूसी ट्रोला प्रदर्श 22, परमिट जमा पर्ची प्रदर्श–23, टेक्स जमा प्रमाण पत्र ट्रोला प्रदर्श–24, फिटनेस ट्रोला प्रदर्श–25, नोटिस 133 एमवी एक्ट पालमसिंह प्रदर्श–26, फर्द जब्ती व निरीक्षण बस प्रदर्श–27, तहरीर मैकेनिकल मुआयना बस प्रदर्श–28, मैकेनिकल मुआयना रिपोर्ट बस प्रदर्श–29, आर सी बस प्रदर्श–30, डी एल हरीराम प्रदर्श–31, परमिट बस प्रदर्श–32, परमिट बस पार्ट–ए प्रदर्श–33, तहरीर एसएचओ प्रदर्श–34, आदेश परिवहन प्रदर्श–35, पत्र एसएचओ प्रदर्श–36, चोट प्रतिवेदन प्रदर्श–37 ता 45, एम एल सी रिपोर्ट प्रदर्श–46, 47, मालखाना रजिस्टर प्रति प्रदर्श–48 व 49, तहरीर पोस्टमार्टम बूटासिंह प्रदर्श–50, रसीद सुपुर्दगी लाश बूटासिंह प्रदर्श–51, फर्द पंचनामा बूटासिंह प्रदर्श–52, पोस्टमार्टम रिपोर्ट बूटासिंह प्रदर्श–53, पोस्टमार्टम रिपोर्ट जंगीरसिंह प्रदर्श–54, तहरीर पोस्टमार्टम जंगीरसिंह प्रदर्श–55, फर्द पंचायतनामा जंगीरसिंह प्रदर्श–56 व रसीद लाश जंगीरसिंह प्रदर्श–57 पेश कर प्रदर्शित करवाये गये।

11. अयाचीगण की ओर से अपनी मौखिक साक्ष्य में एन ए डब्ल्यू 1 शिवाजी महेन्द्रा, एन ए डब्ल्यू 2 हरीराम के बयान लेखबद्व करवाये गये तथा दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श एन ए–1 बीमा पॉलिसी, प्रदर्श एन ए–2 नोटिस व प्रदर्श एन ए 3 ड्राईविंग लाईसेंस हरीराम पेश कर प्रदर्शित करवाये गये।

12. बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस याचीगण के विद्वान अधिवक्तागण

की ओर से याचिकाओं में वर्णित तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुए याचिकाओं में याचित उक्त क्षतिपूर्ति राशि दिलाये जाने का निवेदन किया गया। अपने तर्कों के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये गये–

1. Khenyei VS New India Assurance Co. Ltd. & Ors. 2023 AIR 2025 SC 261.

2. United India Insurance Company Limited Through Manager VS Smt. Mamta Sharma and Ors. Appeal No. 2823 of 2016 Decided on 06.05.2026 Rajasthan High Court (Jaipur Bench)

इसके विपरीत दौराने बहस अयाचीगण के विद्वान अधिवक्तागण की ओर से जवाब याचिकाओं में वर्णित तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुए याचीगण की याचिकाएं खारिज किये जाने का निवेदन किया गया। अधिवक्ता–अयाची सं० 1 की ओर से अपने तर्कों के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये गये–

1. Jaspreet Kaur (Smt.) & Anr. Vs C. Karthi & Ors. 2021(1) ACTC (Raj) 374.

2. New India Assurance Co. Ltd. Vs Mangi Devi & Anr. 2021(1) ACTC (Raj) 339

13. पत्रावली का अवलोकन किया गया। न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अवलोकन कर उचित मार्गदर्शन प्राप्त किया गया। पत्रावली पर विद्यमान समस्त मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन करने के पश्चात् विरचित तनकीयात पर इस अधिकरण का तनकीवार निष्कर्ष इस प्रकार हैः–

<u>तनकी संख्या 1–</u>

01. "आया दिनांक 19.09.2021 को वक्त करीब 8.30 पीएम पर राष्ट्रीय राजमार्क 911 पर अनूपगढ से घड़साना के बीच चक 15–ए बस स्टेण्ड के पास अयाची संख्या 2 मनदीपसिंह ने अपने ट्रोला नंबर आर जे 19–जीसी–4445 व अयाची संख्या 3 हरीराम ने अपनी बस नंबर आर जे 19–पीए–9898 को उपेक्षा

एवं लापरवाही से चलाया जिससे उक्त वाहनों में टक्कर हो गई जिससे बस में सवार आत्माराम उर्फ रूपाराम व बूटासिंह की दुर्घटनाग्रस्त होकर मृत्यु हो गई ?"

––याचीगण

14. इस तनकी को साबित करने का भार याचीगण पर है। याचीगण की ओर से परीक्षित गवाह ए. डब्ल्यू. 1 बलवंतकौर ने अपने मुख्य परीक्षण बयानों में कथन किये हैं कि दिनांक 19.09.2021 को उसके पति बूटासिंह मोहनगढ जाने के लिये अनूपगढ से बस नं0 आर जे 19 पीए 9898 में सवार हुए, बस में काफी सवारियां थी। बस अनूपगढ से निकलते ही वक्त 8.30 पीएम पर हाईवे रोड़ पर घड़साना की तरफ बड़ी तेजी से रवाना हुई, तभी चक 15–ए बस स्टेण्ड के पास सामने से एक ट्रोला नंबर आर जे 19 जीसी 4445 का चालक तेजी, लापरवाही व गफलत से चलाता हुआ लाया जिससे बस व ट्रोला की भिड़ंत हो गई। बस चालक ने बस को एक साईड में करने की कोशिश की तो आगे एक पेड़ आने से बस पलटी खा गई, उसके बाद बस में आग लग गई। आग लगने से उसके पति सहित दो सवारियों की मौके पर जलने के कारण मृत्यु हो गई। ट्रोला चालक की भी मौका पर मृत्यु हो गई। उक्त घटना बाबत बस में सवार सतपाल बिश्नोई के प्रार्थना पत्र पर एफआईआर संख्या 507/2021 पीएस अनूपगढ, अन्तर्गत धारा 279, 337, 304–ए भा.दं.सं. में दर्ज हुई जिसमें पुलिस ने बाद अनुसंधान ट्रोला नं0 आर जे 19 जीसी 4445 के चालक जंगीरसिंह के विरूद्ध धारा 279, 337, 304–ए भा.दं.सं., बस नंबर आर जे 19 पीए 9898 के चालक हरीराम के विरूद्ध धारा 279, 337, 304–ए भा.दं.सं., धारा 146/196, 39/192, 66/192, 182–बी एम वी एक्ट एवं बस मालिक सालमसिंह के विरूद्ध धारा 146/196, 39/192, 66/192, 182–बी एम वी एक्ट का अपराध प्रमाणित पाये जाने तथा जंगीरसिंह की मृत्यु होने के कारण अयाची संख्या 3 व 4 के विरूद्ध ग्राम न्यायालय, अनूपगढ में आरोप पत्र पेश किया गया। उक्त साक्षी ने अपनी साक्ष्य में प्रदर्श–1 लगायत 57 दस्तावेज पेश कर प्रदर्शित करवाये।

प्रतिपरीक्षा में उक्त साक्षी ने कथन किया कि वह वरवक्त दुर्घटना मौके पर नहीं थी। लाश देखने मौका पर गई थी, बस पटली खाई हुई थी, बस व ट्रक जले हुए थे। दोनों ड्राईवरों की गलती के कारण दुर्घटना कारित हुई। बूटासिंह उसके

पति थे जो दिनांक 19.09.2021 को मोहनगढ जाने के लिये बस पर रवाना हुए थे। दोनों वाहनों की आमने सामने भिड़ंत हुई थी। यह कहना गलत है कि दुर्घटना बस चालक की गलती से ना हुई हो।

15. याचीगण की ओर से परीक्षित साक्षी ए.डब्ल्यू. 2 सीतादेवी अपने मुख्य परीक्षण बयानों में अपनी याचिका में वर्णित तथ्यों एवं साक्षी ए डब्ल्यू 1 बलवंतकौर के बयानों के समरुप दिनांक 19.09.2021 को अपने पति के बस नं0 आर जे 19 पीए 9898 में सवार होने, उक्त बस के चक 15–ए बस स्टेण्ड के पास दुर्घटनाग्रस्त होने एवं उक्त दुर्घटना में अपने पति आत्माराम की मृत्यु होने का कथन करती है।

प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने कथन किया है कि उसने दुर्घटना होते हुए नहीं देखी। यह कहना गलत है कि दुर्घटना में बस चालक की गलती ना हो। यह कहना गलत है कि उसका पति दिनांक 19.09.2021 को अनूपगढ से मोहनगढ के लिये रवाना ना हुआ हो। दोनों वाहन आमने सामने भिड़े थे।

16. इसके विपरीत अयाचीगण की ओर से परीक्षित साक्षी एन ए डब्ल्यू 1 शिवाजी महेन्द्रा अपने मुख्य परीक्षण हेतु प्रस्तुत शपथ पत्र में यह कथन करता है कि ट्रोला का परमिट दुर्घटना की दिनांक को नहीं था, ऐसी स्थिति में मोटरयान नियमों का उल्लंघन होने से बीमा कम्पनी प्रतिकर अदायगी के लिये उत्तरदायी नहीं है। ट्रोला चालक जंगीरसिंह की उपेक्षा व लापरवाही से कोई दुर्घटना कारित नहीं हुई, बस चालक हरीराम की उपेक्षा व लापरवाही से दुर्घटना हुई है। बस मालिक व बस चालक ही क्लेम देने के लिये उत्तरदायी है, ट्रोला की बीमा कम्पनी उत्तरदायी नहीं है। प्रतिपरीक्षा में उक्त साक्षी ने कथन किया है कि उसने दुर्घटना होते हुए नहीं देखी।

17. अयाचीगण की ओर से परीक्षित साक्षी एन ए डब्ल्यू 2 हरीराम अपने मुख्य परीक्षण हेतु प्रस्तुत शपथ पत्र में यह कथन करता है कि दिनांक 19.09.2021 को वक्त करीब 8 पीएम पर अनूपगढ घड़साना रोड़ पर चक 15 ए बस स्टेण्ड के पास उसकी गलती व लापरवाही से कोई दुर्घटना घटित नहीं हुई। उसके विरूद्ध झूठे तथ्यों के आधार पर पुलिस थाना अनूपगढ में मुकदमा दर्ज करवाया गया है। वक्त दुर्घटना उसके पास बस चलाने का वैध एवं प्रभावी ड्राईविंग लाईसेंस था।

प्रतिपरीक्षा में उक्त साक्षी ने कथन किया है कि ट्रोला चालक मृतक जंगीरसिंह ने ट्रोला को तेज व लापरवाही से चलाकर उसकी बस के सामने टक्कर मारी जिससे उसकी बस व ट्रोला में आग लग गई एवं आग में जलने के कारण आत्माराम व बूटासिंह की मृत्यु हुई थी। यह सही है कि पुलिस ने उसका इस दुर्घटना का चालान किया था जो अभी जैरकार है।

18. जहां तक उक्त दुर्घटना में वाहन ट्रोला नंबर आर जे 19 जीसी 4445 एवं बस नंबर आर जे 19 पीए 9898 की संलिप्तता का प्रश्न है, याचीगण सीतादेवी एवं बलवंतकौर ने अपनी याचिकाओं एवं अपनी अपनी साक्ष्य में दिनांक 19.09.2021 को वक्त करीब 8.30 पीएम पर अनूपगढ घड़साना सड़क पर चक 15 ए बस अड्डा के पास बस चालक हरीराम एवं ट्रोला चालक जंगीरसिंह द्वारा अपने अपने वाहनों को तेज गति व लापरवाही से चलाकर आमने सामने टक्टर मारना, बस पलटी खाकर पलटना, बस में आग लगना जिससे बस में सवार याचीगण सीतादेवी आदि के पति/पिता आत्माराम एवं याचीगण बलवंतकौर आदि के पति/पिता बूटासिंह की जलने से मृत्यु होना, ट्रोला चालक की भी मौके पर मृत्यु होना कथन करती हैं । उक्त साक्षीगण की जिरह में मुख्य परीक्षा में किये गये कथनों के विपरीत कोई तथ्य नहीं आया है जिससे मुख्य परीक्षा में किये गये कथन अखंडित रहे हैं। उक्त दुर्घटना बाबत प्रथम सूचना रिपोर्ट सतपाल बिश्नोई के पर्चा बयान पर दर्ज हुई है। प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श 4 में भी प्रश्नगत बस के नं0 आर जे 19 पीए 9898 एवं ट्रक (ट्रोला) होना अंकित किये गये हैं तथा दुर्घटना कारित करने वाले वाहन ट्रक (ट्रोला) आर जे 19 जीसी 4445 को दिनांक 20.09.2021 को जरिये फर्द प्रदर्श 11 एवं बस नं0 आर जे 19 पीए 9898 को दिनांक 29.09.2021 को जरिये फर्द प्रदर्श 27 जब्त किया गया है। इन तथ्यों का खंडन अयाचीगण की ओर से नहीं किया गया है। अतः प्रश्नगत वाहनों की संलिप्तता दुर्घटना में होना प्रमाणित है।

19. जहां तक प्रश्नगत वाहनों के चालकों द्वारा वक्त दुर्घटना अपने अपने वाहनों को उपेक्षा/उतावलेपन से चलाने का प्रश्न है, याचीगण की ओर से परीक्षित साक्षीगण ए डब्ल्यू 1 बलवंतकौर एवं याची ए डब्ल्यू 2 सीतादेवी अपनी अपनी साक्ष्य में दुर्घटना ट्रोला के चालक मृतक जंगीरसिंह एवं अयाची सं0 3 हरीराम द्वारा बस नंबर आर जे 19

पीए 9898 को तेजी एवं लापरवाही से चलाकर आमने सामने टक्कर मारने का कथन करते हैं जबकि अयाचीगण की ओर से परीक्षित साक्षी एन ए डब्ल्यू 1 शिवाजी महेन्द्रा दुर्घटना ट्रोला चालक की गलती से नहीं बल्कि बस चालक हरीराम की उपेक्षा व लापरवाही से होना कथन करता है । इसके विपरीत ए डब्ल्यू 2 हरीराम स्वयं की गलती या लापरवाही से कोई दुर्घटना घटित नहीं होने का कथन करता है। इस संबंध में अपराध विवरण/नक्शा मौका प्रदर्श 9 व हालात मौका प्रदर्श 10 महत्वपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्य है। नक्शा मौका प्रदर्श 9 के अनुसार दुर्घटना नेशनल हाईवे संख्या 911 पर बस स्टेण्ड चक 15ए के पास घटित हुई, जो नक्शा मौका प्रदर्श 9 में **एक्स** स्थान पर चिह्नित किया गया है। मृतक आत्माराम एवं बूटासिंह का अनूपगढ से बस नं0 आर जे 19 पीए 9898 में सवार होकर मोहनगढ की ओर जाना और ट्रोला नं0 आर जे 19 जीसी 4445 का अनूपगढ की ओर आना बताया गया है। नक्शा मौका प्रदर्श 9 व हालात मौका प्रदर्श 10 के अवलोकन से स्पष्ट है कि दोनों वाहनों की मुख्य सड़क के बीचों बीच आमने सामने टक्कर हुई है एवं दोनों ही वाहनों में टक्कर लगने से आग लगना वर्णित है। यदि ट्रोला चालक एवं बस चालक सावधानीपूर्वक अपने वाहन चलाते तो इस दुर्घटना को टाला जा सकता था। फर्द जब्ती व निरीक्षण ट्रक (ट्रोला) प्रदर्श 11, मैकेनिकल मुआयना ट्रोला प्रदर्श 14 एवं फर्द जब्ती व निरीक्षण बस प्रदर्श 27 व मैकेनिकल मुआयना बस प्रदर्श 29 के अनुसार दोनों ही वाहन पूरी तरह जलकर नष्ट हो चुके हैं। दिनांक 19.09.2021 को एक्सीडेंट के समय नोटिस 133 एम वी एक्ट प्रदर्श 12 के अनुसार ट्रोला नं0 आर जे 19 जीसी 4445 पर ड्राईवर जंगीरसिंह एवं नोटिस 133 एम वी एक्ट प्रदर्श 26 के अनुसार बस नं0 आर जे 19 पीए 9898 पर ड्राईवर हरीराम था । प्रदर्श 1 के अनुसार ट्रोला नं0 आर जे 19 जीसी 4445 के चालक जंगीरसिंह के विरूद्ध धारा 279, 337, 304–ए भा.दं.सं., बस नंबर आर जे 19 पीए 9898 के चालक हरीराम के विरूद्ध धारा 279, 337, 304–ए भा.दं.सं., धारा 146/196, 39/192, 66/192, 182–बी एम वी एक्ट एवं बस मालिक सालमसिंह के विरूद्ध धारा 146/196, 39/192, 66/192, 182–बी एम वी एक्ट का अपराध प्रमाणित पाये जाने पर जंगीरसिंह की मृत्यु होने के कारण अयाची संख्या 3 हरीराम एवं अयाची संख्या 4 सालमसिंह के विरूद्ध उक्त धाराओं में ग्राम न्यायालय, अनूपगढ में आरोप

पत्र प्रस्तुत हुआ है। अधिकरण के विनम्र मत में पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से ट्रोला चालक जंगीरसिंह एवं बस चालक हरीराम द्वारा अपने वाहनों को तेजी व लापरवाही से चलाकर आमने सामने टक्कर मारकर दुर्घटना कारित करना साबित है।

20. जहां तक दुर्घटना में बस नं0 आर जे 19 पीए 9898 में सवार याचीगण के पति/पिता क्रमशः आत्माराम व बूटासिंह तथा ट्रोला नं0 आर जे 19 जीसी 4445 के चालक जंगीरसिंह की मृत्यु होने का प्रश्न है, याचीगण ए डब्ल्यू 1 बलवंतकौर एवं ए डब्ल्यू 2 सीतादेवी ने अपनी अपनी साक्ष्य में दिनांक 19.09.2021 को बस व ट्रोला में आमने सामने दुर्घटना होने से बस में आग लगने से आत्माराम व बूटासिंह की जलकर मृत्यु होने तथा ट्रोला चालक की भी मृत्यु होने बाबत कथन किये हैं। साक्षी ए डब्ल्यू 1 बलवंतकौर ने अपनी साक्ष्य में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आत्माराम, बूटासिंह व जंगीरसिंह क्रमशः प्रदर्श 5, प्रदर्श 53 व प्रदर्श 54 को प्रदर्शित करवाया है। दुर्घटना में बस नं0 आर जे 19 पीए 9898 में सवार याचीगण के पति/पिता क्रमशः आत्माराम व बूटासिंह की मृत्यु होने को अयाचीगण की ओर से विवादित नहीं किया गया है। इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से मोटर दुर्घटना के परिणामस्वरूप याचीगण मीरादेवी आदि के पति/पिता आत्माराम एवं याचीगण बलवंतकौर आदि के पति/पिता बूटासिंह की मृत्यु होना साबित है।

याची पक्ष को केवल अधिसंभावनाओं की प्रबलता की हद तक ही अपनी साक्ष्य के जरिये प्रकरण को प्रमाणित करना होता है जो याची पक्ष प्रमाणित करने में सफल रहा है। अतः तनकी संख्या 01 याचीगण के पक्ष में एवं अयाचीगण के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

<u>तनकी संख्या 4–</u>

04. आया अयाची सं० 1 बीमा कम्पनी जवाब में उल्लिखित तथ्यों के आधार पर प्रतिकर राशि अदा करने के लिये उत्तरदायी नहीं है ?

21. उक्त तनकी को साबित करने का भार अयाची सख्या 1 बीमा कम्पनी पर है। इस संबंध में अयाची संख्या 1 का अपने जवाब याचिका में यह कथन रहा है कि दुर्घटना बस

चालक द्वारा बस को तेज एवं लापरवाही से चलाने से हुई है । बस मालिक के पास घटना के दिन परमिट नहीं था तथा ट्रोला चालक के पास वाहन चलाने का वैध एवं प्रभावी ड्राईविंग लाईसेंस नहीं था एवं ट्रोला का परमिट व फिटनेस भी दुर्घटना की दिनांक को नहीं था, ऐसी स्थिति में मोटरयान नियमों का उल्लंघन होने से बीमा कम्पनी प्रतिकर अदायगी के लिये उत्तरदायी नहीं है। याचीगण द्वारा बस की बीमा कम्पनी को पक्षकार नहीं बनाया गया है एवं जानबूझ कर ट्रक की बीमा कम्पनी को गलत तरीके से कुसंयोजन किया गया है इसलिये पक्षकारों के कुसंयोजन के कारण याचीगण की याचिका अयाची बीमा कम्पनी की हद तक खारिज किये जाने योग्य है। उक्त कथनों के समर्थन में अयाची संख्या 1 बीमा कम्पनी की ओर से परीक्षित साक्षी एन ए डब्ल्यू 1 शिवाजी महेन्द्रा ने अपने सशपथ बयानों में कथनों करता है कि ट्रोला नं0 आर जे 19 सीजी 4445 का परमिट नहीं था जो पूर्व ट्रोला मालिक पेमाराम चौधरी ने दिनांक 15.06.2021 को सरेण्डर कर दिया था, नये ट्रोला मालिक मनदीपसिंह ने परमिट जारी करने के लिये कोई आवेदन नहीं किया इसलिये पालिसी नियमों के उल्लंघन से बीमा कम्पनी क्लेम देने के लिये उत्तरदायी नहीं है। प्रतिपरीक्षा में उक्त साक्षी ने स्वीकार किया कि जवाब याचिका में मुख्य परीक्षा में वर्णित कथन कि 'पूर्व मालिक पेमाराम ने ट्रोला का परमिट सरेंडर कर दिया था, अंकित नहीं है। प्रदर्श 2 नोटिस मनदीपसिंह को प्रेषित किये जाने अथवा डिलिवर किये जाने का कोई सबूत पेश नहीं किया है। यह सही है कि पेमाराम द्वारा दिनांक 15.06.2021 को ट्रोला का परमिट सरेंडर करने बाबत कोई दस्तावेज उसने पेश नहीं किया। यह सही है कि जस समय दुर्घटना हुई, उस समय कोरोना काल चल रहा था, राज्य सरकार द्वारा परमिट रिन्यू बाबत छूट दे रखी थी।

22. इसके विपरीत याचीगण की ओर से परीक्षित साक्षी ए डब्ल्यू 1 बलवंतकौर ने अपने मुख्य परीक्षण हेतु प्रस्तुत शपथ पत्र में कथन किये है कि उक्त दुर्घटना में ट्रोला चालक, बस चालक एवं बस मालिक के विरूद्ध अपराध प्रमाणित पाये जाने एवं ट्रोला चालक जंगीरसिंह की मृत्यु हो जाने पर बस चालक हरीराम एवं बस मालिक सालमसिंह के खिलाफ आरोप पत्र पेश हुआ है । वक्त दुर्घटना ट्रोला का रजिस्टर्ड मालिक अयाची संख्या 2 मनदीपसिंह, बस का रजिस्टर्ड मालिक अयाची संख्या 4 सालमसिंह था, ट्रोला अयाची संख्या 1 से

बीमित था तथा ट्रोला अयाची संख्या 1 बीमा कम्पनी से बीमित था। वरवक्त दुर्घटना ट्रोला चालक मृतक जंगीरसिंह के पास वाहन चलाने का वैध एवं प्रभावी ड्राईविंग लाईसेंस था। ऐसी स्थिति में अयाचीगण संयुक्ततः व पृथकतः याचीगण को प्रतिकर अदा करने के लिये उत्तरदायी है। साक्षी ए डब्ल्यू 1 बलवंतकौर ने अपनी साक्ष्य के दौरान आर.सी. ट्रोला प्रदर्श 15, बीमा पालिसी ट्रोला प्रदर्श 16, रिपोर्ट डी एल जंगीरसिंह प्रदर्श 17, पीयूसी ट्रोला प्रदर्श 22, परमिट जमा पर्ची प्रदर्श 23, फिटनेस ट्रोला प्रदर्श 25, आर सी बस प्रदर्श 30, ड्राईविंग लाईसेंस हरीराम प्रदर्श 31, परमिट बस प्रदर्श 32, परमिट बस पार्ट ए प्रदर्श 33, तहरीर एसएचओ प्रदर्श 34, आदेश परिवहन विभाग प्रदर्श 35 व पत्र एसएचओ प्रदर्श 36 पेश कर प्रमाणित करवाये हैं। ऐसी स्थिति में पत्रावली पर उपलब्ध उक्त मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से यह साबित है कि वक्त दुर्घटना मृतक जंगीरसिंह, अयाची संख्या 2 मनदीपसिंह के नियोजन में ट्रोला चला रहा था, ट्रोला चालक के पास वाहन चलाने का वैध एवं प्रभावी ड्राईविंग लाईसेंस था तथा वक्त दुर्घटना ट्रोला नं0 आर जे 19 जीसी 4445 अयाची संख्या 1 बीमा कम्पनी से बीमित था एवं दुर्घटना बीमित अवधि के भीतर हुई है। बरवक्त दुर्घटना ट्रोला नंबर आर जे 19 जीसी 4445 का फिटनेस प्रमाण पत्र प्रदर्श 25 वैध एवं प्रभावी था। इसी प्रकार बस चालक अयाची संख्या 3 हरीराम, अयाची संख्या 4 सालमसिंह के नियोजन में बस नं0 आर जे 19 पीए 9898 चला रहा था तथा बस चालक हरीराम के पास वाहन चलाने का वैध एवं प्रभावी ड्राईविंग लाईसेंस था। बरवक्त दुर्घटना बस संख्या आर जे 19 पीए 9898 का परमिट वैध एवं प्रभावी था।

जहां तक ट्रोला नंबर आर जे 19 जीसी 4445 का परमिट नहीं होने का प्रश्न है, इस संबंध में प्रदर्श 23 के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि ट्रोला का परमिट दिनांक 03.02.2025 तक वैध था जिसे दिनांक 15.06.2021 को समर्पित कर दिया गया था परन्तु अधिकरण के विनम्र मत में दुर्घटना कोविड–काल में घटित हुई है एवं परिवहन आयुक्त एवं पदेन विशिष्ट शासन सचिव, राजस्थान सरकार द्वारा समस्त प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी, को जारी पत्र प्रदर्श 35 के अनुसार सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कोविड–19 के कारण समस्त प्रकार के मोटर वाहनों से

संबंधित फिटनेस प्रमाण पत्र, परमिट (सभी प्रकार के), ड्राईविंग लाईसेंस, पंजीयन प्रमाण पत्र तथा अन्य आवश्यक दस्तावेज को 30.09.2021 तक मान्य रूप से स्वीकार करने के निर्देश दिये गए हैं। अधिकरण के विनम्र मत में प्रदर्श 35 के दृष्टिगत विद्वान अधिवक्ता अयाची संख्या 1 का उक्त तर्क स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। अतः तनकी संख्या 4 अयाचीगण संख्या 1 के विरूद्ध तथा याचीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

<u>तनकी संख्या 2 व 3–</u>

02. आया याचीगण याचिकाओं में उल्लेखित तथ्यों के आधार पर प्रतिकर प्राप्त करने के अधिकारी है, यदि हां तो किस किस से व कितनी ?

03. आया अयाचीगण संयुक्त अपकृत्यकर्ता हैं इसलिये याचीगण सभी अयाचीगण से अथवा किसी एक से समस्त प्रतिकर राशि वसूलने के अधिकारी है ?

––याचीगण

23. उक्त दोनों तनकीयात एक दूसरे से संबंधित होने से तथ्यों एवं साक्ष्य की पुनरावृति से बचने के लिये इनका एक साथ निस्तारण किया जा रहा है। उक्त दोनों तनकीयात को साबित करने का भार याचीगण पर है।

<u>क्लेम याचिका संख्या 09/2022</u>

इस संबंध में याचीगण सीतादेवी आदि ने अपनी याचिका में एवं ए डब्ल्यू 2 सीतादेवी ने अपनी साक्ष्य में यह कथन किये हैं कि मृतक जमीन हिस्सा पर लेकर काश्त करके 20,000/–रूपये मासिक आय अर्जित करता था । मृतक की असमय मृत्यु नहीं होती तो वह 65 वर्ष की आयु तक आय अर्जित करता जिसमें उत्तरोतर वृद्धि होने की संभावना थी। मृतक अपनी आय का अधिकांश हिस्सा याचीगण पर ही खर्च करता था एवं याचीगण मृतक पर ही आश्रित थे। याचीगण ने मृतक आत्माराम की असमय मृत्यु होने से आय का नुकसान, याचीगण को मानसिक पीड़ा, याची संख्या 1 अपने पति के प्यार व सहचार्य से तथा याची संख्या 2 ता 6 अपने पिता के स्नेह, सानिध्य से वंचित होने की पूर्ति के लिये पांच लाख रूपये, अंतिम संस्कार खर्च के एक लाख रूपये, परिवहन खर्च के दो हजार रूपये सहित उक्त राशि अयाचीगण से दिलाई जाने की प्रार्थना की है। याचीगण को दिलाई जाने वाली क्षतिपूर्ति राशि के निर्धारण के संबंध में

अधिकरण का निष्कर्ष निम्न प्रकार है–

मृतक की आयु व गुणांक–

24. जहां तक वर वक्त दुर्घटना मृतक आत्माराम की आयु का प्रश्न है, इस संबंध में याचिका में मृतक की उम्र 35 वर्ष अंकित है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श 5 एवं फर्द पंचानामा एवं फर्द सूरत लाश प्रदर्श 6 में मृतक आत्माराम की उम्र 35 वर्ष अंकित है। याचीगण की ओर से मृतक की आयु के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश कर प्रमाणित नहीं करवाई गई है। दुर्घटना दिनांक 19.09.2021 की है। अतः वरवक्त घटना मृतक आत्माराम की उम्र 35 वर्ष निर्धारित की जाती है जो 31 से 35 आयु वर्ग में आती है। माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक निर्णय (2009) AIR (SC) 3104 SMT. SARLA VERMA AND OTHERS Vs DELHI TRANSPORT CORPORATION AND ANOTHER में प्रतिपादित सिद्धांतों व दिशा –निर्देशों की अनुपालना में पंचाट राशि निर्धारण हेतु 16 का गुणांक उपयोग में लाया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

मृतक की आय–

25. उक्त तनकीयात को प्रमाणित करने के लिए मृतक की आय का निर्धारण किया जाना आवश्यक है। इस संबंध में याचीया सीतादेवी ए.डब्ल्यू. 2 ने कथन किया है कि मृतक खेती का काम करता था जिससे उसे 20,000/–रूपये मासिक आय अर्जित होती थी परन्तु इस संबंध में याचीगण की ओर से कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं की गई है। अतः यह नहीं माना जा सकता कि वरवक्त दुर्घटना मृतक आत्माराम 20,000/– रूपये मासिक कमाता हो । अतः प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए मृतक को वरवक्त दुर्घटना अकुशल श्रमिक मानते हुए राजस्थान राज्य में माह सितम्बर, 2021 को अकुशल श्रमिक की न्यूनतम मजदूरी दर **6,734/–**रूपये प्रति माह होने के कारण मृतक आत्माराम की वार्षिक आय **80,808/–**रूपये निर्धारित की जाती है।

भविष्य वृद्धि–

26. न्यायिक दृष्टांत (2017) AIR(SC) 5157 NATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED Vs. PRANAY SETHI में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा मृतक के 40 वर्ष तक की आयु के स्वनियोजित व्यक्ति होने के कारण 40 प्रतिशत भावी आय वृद्धि किये जाने के निर्देश दिये गये है। अतः भावी आय में उक्त 40 प्रतिशत की वृद्धि करने पर 80,808+ 32,323= 1,13,131/–रूपये मृतक को वार्षिक आय प्राप्त होती है।

आय में कटौती–

27. मृतक आत्माराम विवाहित था एवं याचीगण मृतक पर आश्रित थे। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टांत 2009 ACR (SC) 3104 Smt. Sarla Verma and others Vs. Delhi Transport Corporation and Another में प्रतिपादित सिद्धांतों, दिशा–निर्देशों की अनुपालना में मृतक के विवाहित होने एवं मृतक पर आश्रितों की संख्या 4 से 6 तक होने के कारण मृतक की आय में से 1/4 राशि मृतक द्वारा स्वयं के रहन–सहन पर खर्च की जाने वाली राशि के रूप में कटौती की जावेंगी । इस प्रकार मृतक की वार्षिक आय 1,13,131/– रूपये में से 1/4 राशि कटौती किये जाने पर शेष राशि 1,13,131–28,282= 84,848/–रूपये वार्षिक आय होती है। इस प्रकार आय की क्षति के रूप में राशि की गणना हेतु शेष राशि{वार्षिक आय×गुणांक 16} = 84,848×16= 13,57,568/– रूपये निर्धारित की जाती है, जिस राशि का नुकसान याचीगण को मृतक की इस दुर्घटना में असामयिक मृत्यु से उठाना पड़ेगा ।

स्नेह वात्सल्य (Consortium), दाह संस्कार एवं सम्पदा हानि–

28. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टांत (2017) AIR(SC) 5157 NATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED Vs. PRANAY SETHI, New India Assurance Company Ltd. Vs. Somwati and Others, 2021(1) R.A.R. 24(SC) एवं United India Insurance Co. Ltd. Vs. Satinder Kaur @ Satwinder Kaur & Ors. Dated 30 June, 2020 मामलों में प्रतिपादित सिद्धांतों

के अनुसार इस मद में Parental Consortium, Spousal Consortium, Filial Consortium दिये जाने के निर्देश दिये गये हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टांत National Insurance Company Limited Versus Pranay Sethi and Ors. 2017 AIR (SC) 5157 में ये दिशा–निर्देश दिये गये है "Reasonable figures on conventional heads, namely, loss of estate, loss of consortium and funeral expenses should be Rs.15,000/–, Rs. 40,000/–, Rs. 15,000/– respectively. The aforesaid amounts should be enhanced at the rate of 10% in every three years" । अतः वर्तमान प्रकरण में उक्त मामलों में प्रतिपादित सिद्धांतों के अनुसार उपरोक्त मदों में क्षतिपूर्ति हेतु याची संख्या 1 मृतक की पत्नी, याची संख्या 2 ता 6 मृतक के पुत्र/पुत्रियां, प्रत्येक को Consortium 44,000/– रूपये दिलाये जाने योग्य पाया जाकर कुल राशि 2,64,000/– दिलाये जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

29. याचीगण को Loss of Estate and Funeral Expenses के मद में क्रमशः 16,500/–एवं 16,500/–रूपये की राशि दिलाई जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

30. मृतक के शव को लाने–ले जाने के लिए परिवहन खर्च के रूप में याचीगण को 2,000/–रूपये दिलाये जाना उचित है।

31. उपरोक्त विवेचनानुसार याचीगण को देय क्षतिपूर्ति राशि निम्न प्रकार आंकलित की जाती है –

1.	आय की हानि के लिये (84,848×16)=	–	13,57,568/–रूपये
2.	Loss of Consortium	–	2,64,000/–रूपये
3.	Funeral Expenses	–	16,500/–रूपये
4.	Loss of Estate	–	16,500/–रूपये
5.	परिवहन व्यय बाबत	–	2,000/–रूपये
	कुल देय क्षतिपूर्ति राशि	–	**16,56,568**/–रूपये

<u>क्लेम याचिका संख्या 08/2022</u>

32. इस संबंध में याचीगण बलवंतकौर आदि ने अपनी याचिका में एवं ए डब्ल्यू 1 बलवंतकौर ने अपनी साक्ष्य में यह कथन किये हैं कि मृतक जमीन काश्त करके 30,000/–रूपये मासिक आय अर्जित करता था । मृतक की असमय मृत्यु नहीं होती तो वह 32 वर्ष तक और आय अर्जित करता जिसमें उत्तरोतर वृद्धि होने की संभावना थी। मृतक अपनी आय का अधिकांश हिस्सा याचीगण पर ही खर्च करता था एवं याचीगण मृतक पर ही आश्रित थे। याचीगण ने मृतक बूटासिंह की असमय मृत्यु होने से आय का नुकसान, याचीगण को मानसिक पीड़ा, याची संख्या 1 अपने पति के प्यार व सहचार्य से तथा याची संख्या 2 ता 3 अपने पिता के स्नेह, सानिध्य से वंचित होने की पूर्ति के लिये पांच लाख रूपये, अंतिम संस्कार खर्च के एक लाख रूपये, परिवहन खर्च के पांच हजार रूपये सहित उक्त राशि अयाचीगण से दिलाई जाने की प्रार्थना की है। याचीगण को दिलाई जाने वाली क्षतिपूर्ति राशि के निर्धारण के संबंध में अधिकरण का निष्कर्ष निम्न प्रकार है–

मृतक की आयु व गुणांक–

33. जहां तक वर वक्त दुर्घटना मृतक बूटासिंह की आयु का प्रश्न है, इस संबंध में याचिका में मृतक की उम्र 68 वर्ष अंकित है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श 53 एवं फर्द पंचनामा एवं फर्द सूरत लाश प्रदर्श 52 में मृतक बूटासिंह की उम्र 65 वर्ष अंकित है। याचीगण की ओर से मृतक की आयु के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश कर प्रमाणित नहीं करवाई गई है। दुर्घटना दिनांक 19.09.2021 की है। अतः वरवक्त घटना मृतक बूटासिंह की उम्र 68 वर्ष निर्धारित की जाती है। माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक निर्णय (2009) AIR (SC) 3104 SMT. SARLA VERMA AND OTHERS Vs DELHI TRANSPORT CORPORATION AND ANOTHER में प्रतिपादित सिद्धांतों व दिशा–निर्देशों की अनुपालना में पंचाट राशि निर्धारण हेतु 05 का गुणांक उपयोग में लाया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

मृतक की आय–

34. उक्त तनकीयात को प्रमाणित करने के लिए मृतक की आय का निर्धारण किया

जाना आवश्यक है। इस संबंध में याचीया बलवंतकौर ए.डब्ल्यू. 1 ने कथन किया है कि मृतक खेती का काम करता था जिससे उसे 30,000/–रूपये मासिक आय अर्जित होती थी परन्तु इस संबंध में याचीगण की ओर से कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं की गई है। अतः यह नहीं माना जा सकता कि वरवक्त दुर्घटना मृतक बूटासिंह 30,000/– रूपये मासिक कमाता हो । अतः प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए मृतक को वरवक्त दुर्घटना अकुशल श्रमिक मानते हुए राजस्थान राज्य में माह सितम्बर, 2021 को अकुशल श्रमिक की न्यूनतम मजदूरी दर **6,734/–**रूपये प्रति माह होने के कारण मृतक बूटासिंह की वार्षिक आय **80,808/–**रूपये निर्धारित की जाती है।

भविष्य वृद्धि–

35. न्यायिक दृष्टांत (2017) AIR(SC) 5157 NATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED Vs. PRANAY SETHI में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा मृतक के 60 वर्ष तक की आयु के स्वनियोजित व्यक्ति होने के कारण भावी आय में वृद्धि किये जाने के निर्देश दिये गये है। मृतक की आयु वक्त दुर्घटना 68 वर्ष निर्धारित की गई है।

आय में कटौती–

36. मृतक बूटासिंह विवाहित था एवं याचीगण मृतक पर आश्रित थे। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टांत 2009 ACR (SC) 3104 Smt. Sarla Verma and others Vs. Delhi Transport Corporation and Another में प्रतिपादित सिद्धांतों, दिशा–निर्देशों की अनुपालना में मृतक के विवाहित होने एवं मृतक पर आश्रितों की संख्या 2 से 3 तक होने के कारण मृतक की आय में से 1/3 राशि मृतक द्वारा स्वयं के रहन–सहन पर खर्च की जाने वाली राशि के रूप में कटौती की जावेंगी । इस प्रकार मृतक की वार्षिक आय 80,808/– रूपये में से 1/3 राशि कटौती किये जाने पर शेष राशि 80,808–26,936= 53,872/–रूपये वार्षिक आय होती है। इस प्रकार आय की क्षति के रूप में राशि की गणना हेतु शेष राशि{वार्षिक आय×गुणांक 5} = 53,872×5= 2,69,360/– रूपये निर्धारित की

जाती है, जिस राशि का नुकसान याचीगण को मृतक की इस दुर्घटना में असामयिक मृत्यु से उठाना पड़ेगा ।

स्नेह वात्सल्य (Consortium), दाह संस्कार एवं सम्पदा हानि–

37. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टांत (2017) AIR(SC) 5157 NATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED Vs. PRANAY SETHI, New India Assurance Company Ltd. Vs. Somwati and Others, 2021(1) R.A.R. 24(SC) एवं United India Insurance Co. Ltd. Vs. Satinder Kaur @ Satwinder Kaur & Ors. Dated 30 June, 2020 मामलों में प्रतिपादित सिद्धांतों के अनुसार इस मद में Parental Consortium, Spousal Consortium, Filial Consortium दिये जाने के निर्देश दिये गये हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टांत National Insurance Company Limited Versus Pranay Sethi and Ors. 2017 AIR (SC) 5157 में ये दिशा–निर्देश दिये गये है "Reasonable figures on conventional heads, namely, loss of estate, loss of consortium and funeral expenses should be Rs.15,000/–, Rs. 40,000/–, Rs. 15,000/– respectively. The aforesaid amounts should be enhanced at the rate of 10% in every three years" । अतः वर्तमान प्रकरण में उक्त मामलों में प्रतिपादित सिद्धांतों के अनुसार उपरोक्त मदों में क्षतिपूर्ति हेतु याची संख्या 1 मृतक की पत्नी, याची संख्या 2 व 3 मृतक के पुत्र/पुत्री, प्रत्येक को Consortium 44,000/– रूपये दिलाये जाने योग्य पाया जाकर कुल राशि 1,32,000/– दिलाये जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

38. याचीगण को Loss of Estate and Funeral Expenses के मद में क्रमशः 16,500/–एवं 16,500/–रूपये की राशि दिलाई जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

39. मृतक के शव को लाने–ले जाने के लिए परिवहन खर्च के रूप में याचीगण को 5,000/–रूपये दिलाये जाना उचित है।

40. उपरोक्त विवेचनानुसार याचीगण को देय क्षतिपूर्ति राशि निम्न प्रकार आंकलित की जाती है –

1.	आय की हानि के लिये		
	(53,872×5)	–	2,69,360/–रूपये
2.	Loss of Consortium	–	1,32,000/–रूपये
3.	Funeral Expenses	–	16,500/–रूपये
4.	Loss of Estate	–	16,500/–रूपये
5.	परिवहन व्यय बाबत	–	5 ,000/–रूपये
	कुल देय क्षतिपूर्ति राशि	–	**4,39,360**/–रूपये

41. अब यह देखा जाना है कि याचीगण उक्त प्रतिकर राशि किस–किस अयाची से किस–किस प्रकार प्राप्त करने के अधिकारी है। तनकी संख्या 1 व 3 के विवेचन में यह निर्धारित किया गया है कि दिनांक 19.09.2021 को करीब 8.30 पीएम पर राष्ट्रीय राजमार्ग 911 पर अनूपगढ से घड़साना के बीच चक 15–ए बस स्टेण्ड के पास बस नंबर आर जे 19 पीए 9898 एवं ट्रोला नंबर आर जे 19 जीसी 4445 की आमने सामने टक्कर होकर दुर्घटना कारित हुई एवं उक्त दुर्घटना में याचीगण सीतादेवी आदि के पति /पिता आत्माराम एवं याचीगण बलवंतकौर आदि के पति/पिता बूटासिंह की मृत्यु कारित हुई। वक्त दुर्घटना आरोपित वाहन ट्रोला अयाची संख्या 1 बीमा कम्पनी से बीमित था एवं दुर्घटना बीमित अवधि के भीतर हुई है। वक्त दुर्घटना प्रश्नगत वाहन ट्रोला का पंजीकृत स्वामी अयाची संख्या 2 मनदीपसिंह एवं बस का चालक अयाची संख्या 3 हरीराम एवं बस मालिक अयाची संख्या 4 सालमसिंह था। अतः याचीगण उक्त प्रतिकर राशि अयाची संख्या 1 ता 4 से संयुक्त एवं पृथक–पृथक रूप से प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

42. विद्वान अधिवक्ता अयाची संख्या 1 का दौराने बहस यह तर्क रहा है कि पुलिस द्वारा बाद अनुसंधान ट्रोला एवं बस दोनों के ड्राईवरों की लापरवाही से दुर्घटना कारित होना प्रमाणित माना है जिससे प्रकरण में योगदायी उपेक्षा (Contributory Negligence) प्रमाणित है। अतः याचित प्रतिकर की मात्रा अनुपातिक रूप से कम किये जाने का निवेदन किया गया। इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता याचीगण का तर्क रहा है कि मृतक आत्माराम व बूटासिंह के द्वारा दुर्घटना कारित करने में कोई लापरवाही नहीं बरती गई है और ट्रोला व बस के ड्राईवर की लापरवाही से ही दुर्घटना कारित हुई है। इस प्रकार प्रकरण योगदायी उपेक्षा का न

होकर संयुक्त उपेक्षा (Composite Negligence) का है जिससे प्रतिकर की मात्रा में कोई कमी नहीं की जा सकती है।

43. उभय पक्षों के तर्कों के क्रम में पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि प्रकरण में ट्रोला व बस के ड्राईवरों द्वारा उपेक्षा व उतावलेन से वाहन चलाकर दुर्घटना कारित किया जाना प्रमाणित पाया गया है। यह सुस्थापित विधि है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है अथवा वह दो या दो से अधिक व्यक्तियों की लापरवाही के परिणामस्वरूप घायल होता है और दुर्घटना मृतक/घायल व्यक्ति की स्वयं की लापरवाही के कारण नहीं होती है, तब यह उन सभी दोषी व्यक्तियों की संयुक्त लापरवाही का मामला होता है। ऐसी स्थिति में प्रत्येक दोषी व्यक्ति दावेदार को सम्पूर्ण क्षतिपूर्ति का भुगतान करने के लिये संयुक्ततः एवं पृथकतः उत्तरदायी होता है। ऐसे मामलों में दावेदार को यह विकल्प रहता है कि वह सभी या उनमें से किसी एक के विरूद्ध कार्यवाही कर सकता है। ऐसे मामले में घायल व्यक्ति को प्रत्येक दोषी की अलग अलग जिम्मेदारी की सीमा सिद्व करने की आवश्यकता नहीं होती है और न ही अधिकरण के लिये प्रत्येक दोषी की अलग अलग देयता निर्धारित करनी आवश्यक होती है। अतः अयाचीगण संयुक्त उपकृत्यकर्ता हैं इसलिये याचीगण सभी अयाचीगण से अथवा किसी एक से समस्त प्रतिकर राशि वसूलने के अधिकारी हैं। विद्वान अधिवक्ता अयाची संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों में प्रतिपादित मत एवं विधिक सिद्वान्तों से यह अधिकरण पूर्णतः सहमत है एवं सम्मान व्यक्त करता है परन्तु तथ्यात्मक भिन्नता के कारण हस्तगत प्रकरण पर चस्पा नहीं होते हैं क्योंकि वर्तमान मामले में दावेदार मृतक के विधिक प्रतिनिधि हैं और मृतक दुर्घटना में सम्मिलित वाहन अर्थात ट्रोला और बस के चालक नहीं थे। अतः यह अंशदायी उपेक्षा का मामला नहीं बनता है। फलस्वरूप विद्वान अधिवक्ता अयाची संख्या 1 का उक्त तर्क स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

तनकी संख्या 5–

44. यह तनकी अनुतोष से सम्बन्धित है। उपरोक्त तनकीयात के विवेचनानुसार याचीगण सीतादेवी आदि कुल 16,56,568/–रूपये, याचीगण बलवंतकौर आदि कुल 4,39,360/–रूपये प्रतिकर राशि अयाचीगण सं० 1 ता 4 से संयुक्ततः व

पृथकतः प्राप्त करने के अधिकारी है तथा इस राशि पर याचीगण, याचिका प्रस्तुत करने की दिनांक 09.03.2022 से वसूली तक 06 प्रतिशत वार्षिक साधारण दर से ब्याज राशि भी प्राप्त करने के अधिकारी है। याचीगण की उक्त दोनों क्लेम याचिकाएं उपरोक्तानुसार प्रतिकर हेतु स्वीकार किये जाने योग्य है।

–:: आदेश/पंचाट ::–

45. अतः याचीगण सीतादेवी आदि की ओर से प्रस्तुत **क्लेम याचिका संख्या 09/2022** विरूद्ध अयाचीगण यूनाईटेड इंडिया इंश्योरेंस कम्पनी आदि निम्न प्रकार से **स्वीकार** की जाती हैः– याचीगण सीतादेवी आदि कुल प्रतिकर राशि 16,56,568/– रूपये (सोलह लाख छप्पन हजार पांच सौ अड़सठ रूपये मात्र) अयाचीगण संख्या 01 ता 04 से संयुक्ततः एवं पृथकतः प्राप्त करने के अधिकारी है तथा इस राशि पर याचीगण, याचिका प्रस्तुत करने की दिनांक 09.03.2022 से वसूली तक 06 प्रतिशत वार्षिक साधारण दर से ब्याज राशि भी प्राप्त करने का अधिकारी है। इस बाबत अंतिम पंचाट जारी किया जाता है, जो निम्नानुसार हैः–

क्र.सं.	नाम याची	बचत खाता में	सावधि खाता में	सावधि जमा की अवधि
1.	सीतादेवी	3,56,568/–रूपये मय सम्पूर्ण ब्याज राशि	3,00,000/–रू.	दो वर्ष
2.	संतोष	–	2,00,000/–रू.	बालिग होने तक
3.	तीर्थाराम	–	2,00,000/–रू.	बालिग होने तक
4.	दिव्या	–	2,00,000/–रू.	बालिग होने तक
5.	मोनिका	–	2,00,000/–रू.	बालिग होने तक
6.	संजय कुमार	–	2,00,000/–रू.	बालिग होने तक

46. याचीगण बलवंतकौर आदि की ओर से प्रस्तुत **क्लेम याचिका संख्या 08/2022** विरूद्ध अयाचीगण यूनाईटेड इंडिया इंश्योरेंस कम्पनी आदि निम्न प्रकार से **स्वीकार** की जाती हैः– याचीगण बलवंतकौर आदि कुल प्रतिकर राशि 4,39,360/–रूपये (चार लाख उन्तालीस हजार तीन सौ साठ रूपये मात्र) अयाचीगण संख्या 01 ता 04 से संयुक्ततः एवं पृथकतः प्राप्त करने के अधिकारी है तथा इस राशि पर याचीगण, याचिका प्रस्तुत करने की दिनांक 09.03.2022 से वसूली तक 06 प्रतिशत वार्षिक साधारण दर

से ब्याज राशि भी प्राप्त करने के अधिकारी है। इस बाबत् अंतिम पंचाट जारी किया जाता है, जो निम्नानुसार हैः–

क्र.सं.	नाम याची	बचत खाता में	सावधि खाता में	सावधि जमा की अवधि
1.	बलवंतकौर	1,89,360/–रूपये मय सम्पूर्ण ब्याज राशि	1,00,000/–रूपये	दो वर्ष
2.	बेअन्तसिंह	75000/–रूपये	–	–
3.	मनजीतकौर	75000/–रूपये	–	–

47. यदि याचीगण सीतादेवी आदि/बलवंतकौर आदि के द्वारा दोषरहित दायित्व के तहत पूर्व में कोई राशि प्राप्त की गई है , तो उस राशि का प्रतिकर की राशि में समायोजन किया जाकर शेष राशि याचीगण को दी जावे। याचीगण की ओर याचित शेष अनुतोष अस्वीकार किया जाता है।

48. अयाचीगण उक्त प्रतिकर राशि संयुक्ततः एवं पृथकतः एक माह के भीतर मय ब्याज अदा करेंगे। भुगतान अधिकरण के बैंक खाता में आरटीजीएस/नैफ्ट किया जाए और आरटीजीएस/नैफ्ट की सूचना अयाचीगण द्वारा अधिकरण को उपलब्ध करवाई जावे।

49. याचीगण को निर्देशित किया जाता है कि निर्णय की तिथि से तीस दिन की अवधि में अपने पैन कार्ड की फोटोप्रति अयाची बीमा कम्पनी को उपलब्ध कराए। उपरोक्त प्रतिकर राशि प्राप्त होने पर याचीगण किसी राष्ट्रीयकृत बैंक खाते के माध्यम से उक्तानुसार नकद/सावधि प्राप्त करेगें। प्रकरण का व्यय पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

(डॉ. मनीष कुमार अग्रवाल)
न्यायाधीश,
मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण सं. 1
अनूपगढ़, जिला–श्रीगंगानगर

50. निर्णय एवं पंचाट आज दिनांक 24.07.2026 को लिखाया जाकर विवृत्त न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. मनीष कुमार अग्रवाल)
न्यायाधीश,
मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण सं. 1
अनूपगढ़, जिला–श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by
Date: 2026.07.27 10:15:41 IST